मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या- 417/2017

1. केशव सिंह यादव पुत्र श्री खलक सिंह उम्र 58 वर्ष (मृतक का पिता)
2. श्रीमती सरोज राजा पत्नी केशव सिंह उम्र लगभग 55 वर्ष (मृतक की मॉ)
3. छोटी राजा पत्नी मानवेन्द्र सिंह उम्र 25 वर्ष (मृतक की पत्नी)
4. अनुष्का राजा बुन्देला पुत्री मानवेन्द्र सिंह उम्र 5 साल (मृतक की पुत्री)
5. तेपस्या राजा बुन्देला पुत्री मानवेन्द्र सिंह उम्र 3 साल (मृतक की पुत्री)
6. डोली राजा पुत्री केशव सिंह उम्र 22 साल (मृतक की बहन)
7. छाया राजा पुत्री केशव सिंह उम्र 18 साल (मृतक की बहन)

समस्त नि. ग्राम तालौड़ तहसील मोंठ जिला झाँसी

----------याचीगण।

प्रति

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र बृजनन्दन नि. राजेन्द्र नगर , उरई जिला जालौन, उ.प्र.
..... मालिक मारूति कार नं. UP 92J 6904
2. अतुल कुमार तिवारी पुत्र सुरेश कुमार तिवारी नि. मुसमरिया थाना चुर्खी जिला जालौन, उ.प्र.
..... चालक मारूति कार नं. UP 92J 6904
3. यूनाईटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कं. लि. नन्दनपुरा सीपरी बाजार, झाँसी
..... बीमा कम्पनी मारूति कार नं. UP 92J 6904

----------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता - श्री अशोक कुमार अग्रवाल
विपक्षी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता - श्री एस.के. श्रीवास्तव
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता - श्री ए.के. मिश्रा

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक मानवेन्द्र सिंह की मृत्यु के कारण ₹ 37,60,000/- क्षतिपूर्ति हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनूसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि याचीगण के पुत्र, पति, पिता व भाई मानवेन्द्र सिंह दिनाँक 22.07. 2017 को समय करीब 6 बजे घर से जोत के खेत पर धान की रोपाई के लिये पानी भरने की कहकर खेत पर जा रहा था। रास्ते में तालौड़ की पुलिया मोटर स्टैण्ड से करीब 200 मीटर आगे वकुंवॉ की तरफ किनारे रोड की अपनी साइड में सामने से अल्टो गाड़ी नं. UP 92J 6904 के चालक द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये आते हुये रोड़ किनारे जा रहे मानवेन्द्र सिंह को सामने से टककर मार दी जिससे उसे सिर में गम्भीर चोटें आयी तथा शरीर में कई जगह चोटें आईं। मौके पर पीछे से गॉव के धीरेन्द्र सिंह व हलीम खाँ पेट्रोल लेने मोटर सायकिल से जा रहे थे, मौंके पर आ गये थे जिन्होंने घटना देखी। मृतक की उम्र 28 वर्ष थी तथा वह किराने की दुकान व पिता की खेती करके मुब. 20,000/- रु. मासिक कमा लेता था। दुर्घटना की रिपोर्ट थाना शाहजहॉपुर में दर्ज कराई गयी थी।

3. विपक्षी सं. 1 देवेन्द्र कुमार प्रश्नगत मारूति कार नं. UP 92J 6904 के पंजीकृत स्वामी की ओर से 13 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये गये हैं कि उनके वाहन को कथित दुर्घटना की दिनाँक को उनका रिश्तेदार लेकर धीमी गति से कार को चला रहा था तभी एक मोटर साइकिल चालक जो कि सिर पर हेलमेट नहीं पहने हुए था व मोटर साइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था व भाण्डेर रोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहा था, संतुलन खराब होने के कारण विपक्षी की कार से बांयी ओर से टकरा गया था जिसे विपक्षी द्वारा लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल मोंठ में भर्ती कराया जहाँ से डॉक्टरों द्वारा घायल को मेडिकल कॉलेज, झाँसी के लिए रेफर कर दिया गया तथा तुरन्त उसे झाँसी लाया गया व सनमति हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। उक्त घटना में उसके रिश्तेदार की कोई गलती नहीं थी। पुलिस की सांठ-गांठ से याचीगण ने नाजायज क्लेम राशि लेने की नियत से विपक्षी के वाहन के खिलाफ झूॅठा मुकदमा दर्ज कराया गया। विपक्षी ने दिनाँक 28.07.2017 को एक प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष शाहजहॉपुर को दिया था जिसमें उसने घटना का खुलासा किया था तथा दिनाँक 24.07.2017 के अखबारों मे भी उक्त घटना का खुलासा किया गया है, जिसमें याची सं. 1 के पुत्र मानवेन्द्र सिंह को मोटर साइकिल चलाना बताया गया है। विपक्षी के रिश्तेदार अतुल कुमार तिवारी के पास कार चलाने का प्रभावी व वैध लाइसेन्स है तथा उसकी प्रश्नगत कार विपक्षी यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कं. लि. से विधिवत बीमित थी व रजिस्ट्रेशन व सभी कागजात घटना की दिनॉक को वैध व प्रभावी थे। यदि क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व विपक्षी का पाया जाता है तो उसकी अदायगी की सम्पूर्ण जिम्मेंदारी विपक्षी बीमा कम्पनी की होगी।

4. विपक्षी सं. 2 अतुल कुमार प्रश्नगत मारूति कार नं. UP 92J 6904 चालक की ओर से 26 बी जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये विपक्षी सं. 1 द्वारा दाखिल किये गये

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.01 23:43:04 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

जवाबदावा के कथनों के समान ही कथन किये हैं तथा यह भी कथन किया है कि घटना के वक्त उसके पास कार चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था।

5. विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्रश्नगत मारूति कार नं. UP 92J 6904 की बीमा कम्पनी की ओर से जवाबदावा 30 बी दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि तथाकथित प्रश्नगत कार के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं था इसलिये विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदा किये जाने का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं।

6. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 27.07.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 22.07.2017 समय करीब 6 बजे तालौड़ पुलिया मोटर स्टेण्ड से करीब 200 मीटर आगे वकुवॉ की तरफ किनारे रोड की साइड में मानवेन्द्र सिंह जा रहा था तभी सामने से आल्टो कार नं. UP 92J 6904 के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर मानवेन्द्र सिंह को सामने से टक्कर मार दी, जिससे उसे गम्भीर चोटें आई और उसकी दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हो गयी ?

2. क्या मृतक मानवेन्द्र सिंह उक्त दुर्घटना के दिनाँक व समय पर मोटर साइकिल को चलाते हुये बड़ी तेजी व लापरवाही से चला रहा था व भाण्डेर रोड़ पर विपरीत दिशा से आ रहा था, संतुलन खराब होने के कारण विपक्षी सं. 1 की उक्त कार से बांयी ओर से टकरा गया था और उक्त दुर्घटना में उक्त दोनों वाहन चालकों की योगदाई तेजी व लापरवाही है ?

3. क्या दुर्घटना के दिनॉक व समय पर के आल्टो कार नं. UP 92J 6904 के चालक के पास कार को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था ?

4. क्या दुर्घटना के दिनॉक व समय पर आल्टो कार नं. UP 92J 6904 विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से विधिवत बीमित था ?

5. क्या याचीगण कोई प्रतिकर धनराशि करने के अधिकारी हैं, यदि हॉ तो किस विपक्षी से व कितनी?

7. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याचीगण की ओर से

अभिलेखीय

1. फेहरिस्त 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1/1 लगायत 10 सी1/7 प्रपत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंजीयन प्रमाणपत्र, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. फेहरिस्त 33 सी1 के माध्यम से 34 सी1/1 लगायत 34 सी1/22 प्रपत्र जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, टेक्निकल मुआइना, आरोपपत्र, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपियॉं व किसान बही की छाया प्रतियॉं शामिल हैं,

मौखिक

पी.डब्लू.1 श्रीमती छोटी राजा याची सं. 3 मृतक की पत्नी , पी.डब्लू.2 धीरेन्द्र सिंह स्वतन्त्र साक्षी

विपक्षीगण की ओर से-

विपक्षी सं. 1 की ओर से

अभिलेखीय

1. फेहरिस्त 14 सी1 के माध्यम से 15 सी1 लगायत 22 सी1 प्रपत्र, जिनमें पंजीयन प्रमाणपत्र, चालक लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्र जॉच प्रमाण्पत्र, बीमा पॉलिसी, वाहन रिलीज आदेश, व आधार कार्ड की छाया प्रतियॉं शामिल हैं,

2. विपक्षी सं. 1 ओर से फेहरिस्त 27 सी1 के माध्यम से 29 सी1 लगायत 29 सी1/2 प्रपत्र, जिनमें चालक लाइसेंस व अखबार की छाया प्रतियॉं शामिल हैं,

3. विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी की ओर से फेहरिस्त 40 सी1 के माध्यम से 41 सी1 लगायत 41 सी1/35 प्रपत्र, जिनमें दुर्घटना के सम्बन्ध मे अन्वेषक की आख्या व उससे संबंधित प्रपत्र शामिल है,

8. मैंने वर्चअल कोर्ट में उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

9. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2

वाद बिंदु संख्या 1 कार चालक की उपेक्षा के परिणाम स्वरूप मानवेंद्र सिंह की मृत्यु तथा वाद संख्या दो मृतक की योगदाई उपेक्षा के संबंध में है। क्योंकि दोनों बाद बिंदु परस्पर संबंधित हैं अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

10. स्वीकृत रूप से दुर्घटना व उसके परिणाम स्वरूप मानवेंद्र सिंह की मृत्यु साबित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इसका समर्थन होता है। किंतु विपक्षीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर कार में टक्कर मार दी। अपने तर्कों के समर्थन में विपक्षीगण की ओर से अमर उजाला व एक अन्य समाचार पत्र की कटिंग प्रपत्र संख्या 41 सी1 /30 व 41 सी1/31 प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह समाचार छपा है कि तालोड़ निवासी केशव सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह (28) शनिवार की शाम को मोठ जाते समय कार ने बाइक मे टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज में लाया गया

जहां उनकी मौत हो गई। बीमा कंपनी की ओर से अन्वेषणकर्ता बृजेश कुमार वर्मा की अन्वेषण आख्या प्रपत्र संख्या 41 सी/1 ता 41 सी1/3 प्रस्तुत की गई है जिसमें समाचार पत्र व कुछ समई साक्षी के आधार पर यह कहा गया है की मानवेंद्र सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर कार मे टक्कर मार दी किंतु वाहन स्वामी, चालक या बीमा कंपनी की ओर से समाचार पत्र के समाचार को साबित करने के लिए ना तो पत्रकारों को परीक्षित कराया गया है और ना ही समयी साक्षी के नाम बताए गए हैं। पी.ड़ब्लू.1 ने कार द्वारा पैदल जा रहे हैं मानवेंद्र सिंह को कार चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से कार चला कर टक्कर मार देने का साक्ष्य दिया है। चक्षुदर्शी पी.ड़ब्लू.1 की प्रति परीक्षा से न तो इसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है और न ही दुर्घटना में मानवेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल का कार में टकराने जैसी कोई बात स्पष्ट होती है। हलाँकि दुर्घटना कारी वाहन की तकनीकी निरीक्षण आख्या के अनुसार आगे बाएं साइड की हेड लाइट क्षतिग्रस्त है। सामने बंपर बायें साइड, हेड लाइट व इंडिकेटर लाइट बायें साइड बोनट सामने व बाएं साइड क्षतिग्रस्त है। विंडस्क्रीन ग्लास पूरी तरह से क्रैक है। इस आख्या से यह अनुमान तो निकला जा सकता है कि संभवतः कार द्वारा ओवरटेकिंग के दौरान यह दुर्घटना हुई है किंतु अनुमान तो अनुमान ही होता है, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। घटनास्थल की नक्शा नजरी मे भी कार चालक की उपेक्षा दर्शित होती है जो कि निम्न प्रकार है-

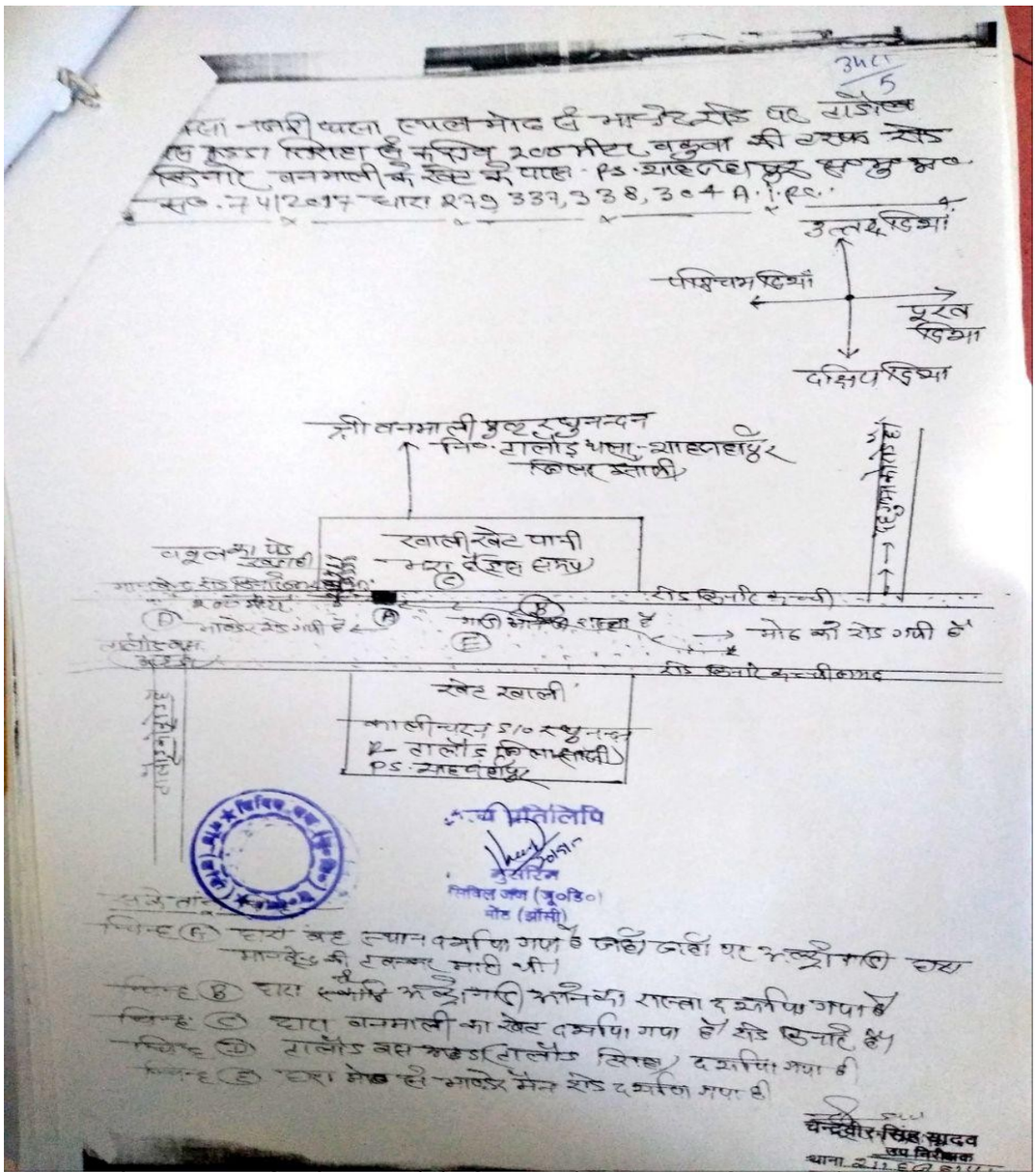

दुर्घटना कारी कार चालक विपक्षी संख्या दो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाहन चालक का साक्ष्य नही कराया गया है और इसलिए चूँकि विपक्षीगण की ओर से योग दाई उपेक्षा के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि इस दुर्घटना में कार चालक की शत प्रतिशत उपेक्षा थी। तदनुसार यह दोनों वाद बिंदु निर्णीत किए जाते हैं

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 16 सी1 आल्टो कार नं. UP 92J 6904 के चालक अतुल कुमार तिवारी की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है,

जिसके अनुसार चालक दिनाँक 04.12.2010 से 03.12.2030 तक मोटर साइकिल व एल.एम.वी. वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन विपक्षी सं.3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक 22.07.2017 की है। कार चालक विपक्षी संख्या दो के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना के दिनाँक व समय पर आल्टो कार नं. UP 92J 6904 के चालक के पास कार को चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। तनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

12. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध मे पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 19 सी1 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार प्रश्नगत आल्टो कार नं. UP 92J 6904 का बीमा दिनाँक 20.05.2017 से 19.05.2018 तक वैध एवं प्रभावी है। विपक्षी सं. 1 की ओर से दाखिल प्रपत्र सं. 15 सी1 पंजीयन प्रमाणपत्र की छाया प्रति के अनुसार उक्त प्रश्नगत आल्टो कार का पंजीयन दिनाँक 31.12.2010 से 30.12.2025 तक वैध एवं प्रभावी है। उक्त बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाणपत्र का खंडन विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक 22.07.2017 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना के दिनाँक व समय पर आल्टो कार नं. UP 92J 6904 विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. से विधिवत बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 4 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

13. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

चूंकि दुर्घटना आल्टो कार नं. UP 92J 6904 की तेजी व लापरवाही से कार को चलाने से हुई है और दुर्घटना में याची सं. 1 व 2 के पुत्र, याची सं. 3 के पति, याची सं. 4 व 5 के पिता व 6 व 7 के भाई की मृत्यु हुयी है और पी.डब्लू. 1 ने इन समस्त लोगों को मृतक पर निर्भर होना बताया है जिसका खंडन विपक्षी गण द्वारा नही किया जा सका है। अतः विधि व्यवस्था Sarla Verma and Ors. v. Delhi Transport Corporation and Ors. MANU/SC/0606/2009; Gangaraju Sowmini and Ors. vs. Alavala Sudhakar Reddy and Ors. (01.02.2016 - HYHC) : MANU/AP/0096/2016 के आलोक मे समस्त याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अब प्रश्न यह है कि याचीगण किस विपक्षी से और कितनी कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं? चूँकि वाद बिन्दु सं. 1, 3 व 4 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये गये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

14. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

पी.डब्ल. 1 जो कि हितबद्ध साक्षी है ने मृतक की आय दुकान व अपने पिता की खेती करने से ₹ 20,000/- प्रति माह बताई है किंतु उसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसकी दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं है। याचीगण की ओर से जो किसान बही 34 सी1 दाखिल की गई है वह मृतक के पिता केशव सिंह के नाम है, जिससे यह साबित नहीं माना जा सकता है कि मृतक उक्त से आय अर्जित करता था। याची की उक्त साक्ष्य का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं कराया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में यह माना जाना न्यायोचित नहीं होगा की मृतक की आय ₹ 20,000/- मासिक थी। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव में कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 निर्धारित की जाती है।

15. याचीगण ने याचिका में मृतक मानवेन्द्र सिंह की उम्र 28 वर्ष अंकित की है। पी.ड़ब्लू.1 के रूप में याची सं. 3 ने भी मृतक अपने पति की उम्र दुर्घटना के समय 28 वर्ष होना बताई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र लगभग 29 वर्ष अंकित है। अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि मृतक की आयु 28-29 वर्ष की थी। पी.डब्लू.1 ने यह भी कथन किया है कि उसके ससुर के नाम 12 बीघा खेती है जिसके कागज उसने पेश किए हैं। उसके पति उसके ससुर के अकेले थे तथा खेती कार्य नहीं करते थे क्योंकि उसके ससुर दमा के मरीज हैं। उसके परिवार में उसके ससुर केशव सिंह, सास श्रीमती सरोज राजा, वह, उसकी दो लड़कियां अनुष्का एवं तपस्या व दो ननद डोली राजा, छाया राजा जो कि अविवाहित हैं साथ में रहते हैं। अब उसके परिवार में वंश वृद्धि के लिए कोई पुरुष नहीं है क्योंकि उसके पति एकमात्र पुरुष थे और उसके दो लड़कियां हैं। उसके पति के इलाज में भी 15-20 हजार रुपये खर्च हो गया है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 – SC); Pappu Deo Yadav vs. Naresh Kumar and Ors. (17.09.2020 - SC) : MANU/SC/0696/2020 के अनुसार 17 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि, स्वयं के खर्च पर 1/5 भाग की कटौती, याचीगण के पिता, पति, पुत्र व भाई की मृत्यु के दृष्टिगत सहचर्य की क्षति के लिए ₹ 40,000, संपदा की क्षति के लिए ₹ 15,000 व दाह संस्कार के लिए ₹ 15,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			5	16632
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				66528
गुणक			17	1130976
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	1170976
संपदा की क्षति			15000	1185976
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	**1200976**
देय क्षतिपूर्ति				**1200976**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ **12,00,976/-** आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। चूँकि पी.डब्लू. 1 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उसके ससुर के नाम 12 बीघा खेती है, जिसके कागज पेश किये हैं। पी.डब्लू. 1 ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसके पति उसके ससुर के अकेले थे। याची सं. 1 व 2 मृतक के माता-पिता व उसके ससुर हैं तथा उसके ससुर केशव सिंह याची सं. 1 दमा के मरीज हैं, मृतक की 2 बहनें याची सं. 6 व 7 अविवाहित हैं तथा उसकी दोनों लड़कियाँ याची सं. 4 व 5 अवयस्क हैं तथा सभी लोग साथ में रहते हैं। अतः मामले की परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये याची सं. 1 लगायत 7 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 10, 10, 20, 15, 15, 15,15 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 and M. R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की वर्षिकी प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा। तदनुसार यह वाद बिंदु निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचीगण की याचिका विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्त व पृथक-पृथक दायित्व के रूप मे क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ **12,00,976**/- (बारह लाख नौ सौ छियत्तर) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। वाहन बीमाकर्ता विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दें। याची सं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 व 7 क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 5, 15, 30, 20, 20, 5,5 प्रतिशत भाग प्राप्त करेगें तथा याची संख्या 4 व 5 की सम्पूर्ण धनराशि उनके वयस्क होने तक के लिए सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे रखे जाएँगे तथा याची सं. 1, व 2 के भाग के 75% धनराशि की एन्युटी 3 वर्ष व शेष याचीगण संख्या 3, 6 व 7 भाग के 75% धनराशि की एन्युटी 5 वर्ष के लिए बनायी जाएगी। याची सं. 1, 2, 3, 6 व 7 अपने भाग की 25% धनराशि नगद प्राप्त करेंगे। यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी भुगतान की सूचना मय ट्रांजैक्शन नम्बर व एम.ए.सी.पी. संख्या ई मेल mactjhansi@gmail.com व po@mactjhansi.in पर अवश्य भेजी जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 01.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 01.10.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी